भारत तथा फारस का संबंध प्राचीन काल से ही था। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शासक खुसरो द्वितीय के पास अपनी दूत मण्डली भेजी थी। अरब में इस्लाम के उदय के बाद ईरान पर मुसलमानों के आक्रमण होने लगे। सन् 936 ई. में मुसलमानों के भय से पारसी, ईरान छोड़कर भारत पहुँचे। यहाँ गुजरात के राजा यादव राणा ने उनका स्वागत किया। पारसियों का विश्वास है कि जरथ्रुस्त्र को ही ईश्वर ने अग्नि प्रदान की थी। ईरान छोड़ने के पूर्व ये अग्नि पूजक थे और इस अग्नि को अपने साथ ले आए थे। यह अग्नि आज भी बम्बई के उत्तर में स्थित उदवाद की अगियारी में जल रही है। पारसी लोग मृतक शरीर को पशुपक्षियों के खाने के लिये छोड़ देते हैं।

हिन्दुओं की तरह पारसी कमर में यज्ञोपवीत (सदर-ए-करती) धारण करते हैं। यह प्रथा बताती है कि उन्होंने पवित्र मार्ग पर चलने का वचन ले रखा है।

पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें व तालिका को पूरा करें -

क्र.	धर्म का नाम	धर्म संस्थापक तथा पूजा स्थल का नाम	पवित्र पुस्तक
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____

इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग आठवीं शताब्दी तक भारत का दुनिया के विभिन्न देशों- चीन, ईरान, श्रीलंका, अरब, रोम, जापान आदि से व्यापारिक एवं धार्मिक संबंध था। कई द्वीपों पर भारतीय उपनिवेश स्थापित थे। भारतीय शैव, वैष्णव तथा बौद्ध धर्म विभिन्न उपनिवेशों के राजधर्म थे। विभिन्न धर्मप्रचारक भारत से विभिन्न देशों की यात्रा करते थे। ईसाइयों के आगमन के साथ ईसाई तथा अरब आक्रमणों के साथ इस्लाम भी भारत में फैल रहा था। इसी प्रकार कुछ पारसी धर्मावलम्बी पूर्ण रूप से अपने देश को त्याग कर भारत में शरण ले चुके थे।

इन नवीन धर्मों के आगमन से भारतीय समाज, शासन एवं संस्कृति में कई बदलाव आ गये। पूर्व के आक्रमणकर्ता यवन, शक, क्षत्रप तथा कुषाण तो इस देश की माटी में घुल मिल गये। आठवीं शताब्दी

में आए इस्लाम धर्म का अलग अस्तित्व बना रहा। अलगाव के बावजूद इस्लाम धर्म की सरलता ने भारतीयों को प्रभावित किया। सूफी संतों के प्रभाव से इस्लाम तथा हिन्दू धर्म के बीच की दूरियाँ घटी। इससे इस्लाम और भारतीय धर्मों के बीच एकता का भाव उत्पन्न हुआ। आज भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए-

(अ) रोमन इतिहासकार प्लिनी क्यों चिन्तित था?

(ब) कम्बोडिया का प्राचीन नाम क्या था?

(स) रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं?

(द) श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? यहाँ भारतीय राज्य की स्थापना किसने की?

(य) गांधार प्रदेश कहाँ स्थित था और यह क्यों प्रसिद्ध रहा?

(र) अरबों ने भारत से क्या-क्या सीखा?

2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

(अ) इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस धर्म की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

(ब) पारसी धर्म की मुख्य बातें लिखिए।

(स) ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? इस धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए।

3 रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर कीजिए-

अ. गान्धार क्षेत्र में ..... की प्राचीनतम प्रतिमाएँ बनी। (जैन/बुद्ध)

ब. सम्राट अशोक ने पुत्र ..... को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। (सुरेन्द्र/महेन्द्र)

स. अंगकोरवाट में ..... मंदिर है। (विष्णु/शिव)

द. यहूदियों के मंदिर को ..... कहा जाता है। (चर्च/सिनेगॉग)

य. हजरत मुहम्मद का जन्म ..... में हुआ। (मक्का/मदीना)

र. पारसियों का मूल देश ..... है। (इराक/ईरान)

4 सही जोड़ियां बनाइए-

क	ख
अ. बर्मा	अनाम
ब. प्लिनी	बुद्ध मंदिर
स. बोरोबुदुर	म्यॉमार
द. सिंहल	रोमन इतिहासकार
य. चंपा	श्रीलंका

प्रोजेक्ट कार्य

- विश्व के मानचित्र में उन देशों को अंकित कीजिए जिनके साथ भारत के संबंध थे।

❖❖❖❖

पाठ 21

हमारा स्थानीय स्वशासन

आइए सीखें

- स्थानीय स्वशासन का अर्थ व महत्व।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, जनपद व जिला पंचायतें- इनका गठन और कार्य।

सामुदायिक विकास में स्थानीय नागरिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। स्थानीय आवश्यकताएँ एवं उनकी पूर्ति वहाँ की परिस्थितियों में कैसे पूरी की जा सकती हैं? इसे स्थानीय नागरिक बेहतर ढंग से जानते हैं तथा यह उनके स्वयं के हित में भी है कि वे एक साथ मिलकर स्थानीय समस्याओं का स्थानीय हल निकालें। सरकार उनकी क्या सहायता कर सकती है? इसे वे राज्य अथवा केंद्र सरकार को उचित माध्यम से अवगत करा सकते हैं।

जब किसी क्षेत्र के लोग किसी समिति या संस्था के माध्यम से स्वयं मिलकर दिन-प्रतिदिन की अपनी समस्याएँ सुलझाते हैं, उचित वैधानिक उपाय करते हैं तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं।

स्थानीय स्वशासन का महत्व

हमारे देश में स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का निर्माण गाँवों, नगरों और शहरों के विकास के लिए अलग-अलग प्रकार से किया गया है। इसका कारण स्थान-स्थान पर समस्याओं का स्वरूप अलग-अलग होना है। स्थानीय स्वशासन का महत्व इस प्रकार है-

1. स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ लोगों को अपनी समस्याएँ सुलझाने का अवसर प्रदान करती हैं।
2. स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ लोगों में आत्मनिर्भरता का विकास करती है।
3. सहकारिता के आधार पर लोगों में अपनी दशा सुधारने का उत्साह पैदा करती हैं।
4. स्थानीय लोगों में नेतृत्व बढ़ाने की क्षमता का विकास करती हैं।
5. स्थानीय लोगों में अपने छोटे से क्षेत्रों में कार्य करके अनुभव प्राप्त करने की समझ विकसित करती है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

(1) ग्राम स्तर पर - ग्राम पंचायत, (2) विकास खंड स्तर पर - जनपद पंचायत तथा (3) जिला स्तर पर - जिला पंचायतें गठित की गई हैं। इन्हीं तीन स्तरों में स्थापित व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था नवीन कल्पना नहीं है। प्राचीन

समय में भी भारत में पंचायतों का अस्तित्व रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान सरकार के असहयोग के कारण धीरे-धीरे पंचायतों की अवनति होती गई व पंचायतें समाप्त सी हो गई। महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पुरानी पंचायती व्यवस्था के पुनरुद्धार की जोरदार वकालत की।

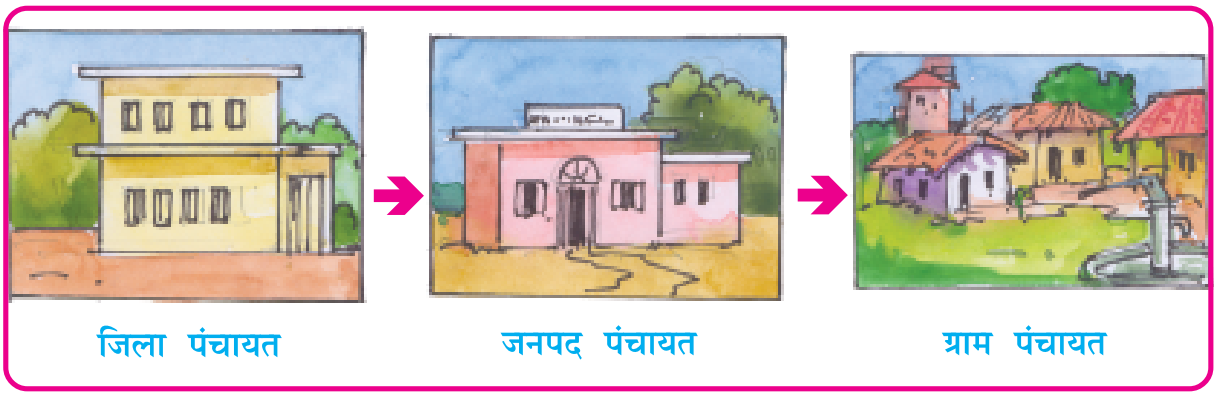

त्रिस्तरीय पंचायती राज

संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था एक कानून के रूप में 24 अप्रैल 1994 से सम्पूर्ण देश में लागू है।

मध्यप्रदेश राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था 1994 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई। इसके अंतर्गत स्थापित तीनों पंचायतों की जानकारी इस प्रकार है-

1. ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का गठन कम से कम 1000 की आबादी पर किया जाता है। जिन गाँवों की आबादी इतनी संख्या में नहीं होती वहाँ आसपास के गाँव जोड़ दिये जाते हैं। ग्राम पंचायतों में ग्रामों को कई छोटे-छोटे क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है, उन्हें वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड के लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिन्हें पंच कहते हैं।

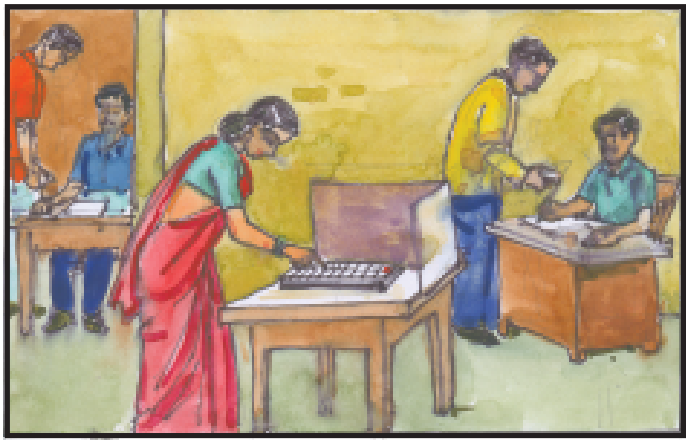

मतदान

मतदाता- 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री व पुरुष को, जिनका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होता है उन्हें मतदाता कहते हैं।

चुनावों के समय मतदाता अपना मत देकर प्रतिनिधि चुनते हैं, इस अधिकार को मताधिकार कहा जाता है।

एक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्ड होते हैं तथा इतनी ही संख्या में पंच होते हैं। प्रत्येक वार्ड में यथासंभव मतदाताओं की संख्या लगभग समान रखी जाती हैं। ग्राम पंचायत में कुछ सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित की जाती हैं। 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह व्यवस्था आरक्षण कहलाती है।

सरपंच

ग्राम पंचायत के प्रधान या मुखिया को सरपंच कहा जाता है। सरपंच का चुनाव, क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा सीधे किया जाता है।

सरपंच ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। यह बैठक की अध्यक्षता करता है। पंचायतों के अंतर्गत एक पंचायत सचिव अथवा पंचायतकर्मी की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है। पंचायत सचिव सभी प्रकार का लेखा-जोखा रखता है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत एक उप सरपंच का चुनाव भी करती है। उनका चुनाव पंचायत के निर्वाचित पंचों में से किया जाता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच उसके कार्य करता है।

ग्राम पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित है। सरपंच द्वारा दायित्वों का निर्वहन यदि भली प्रकार नहीं किया जा रहा हो तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पद से पृथक किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत के कार्य

ग्राम पंचायत गाँव के सामान्य प्रशासन की देखभाल भी करती है। इसका मुख्य कार्य नागरिक सुविधाएं जैसे- पानी, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था और ग्राम के मार्गों आदि का रख-रखाव करना है। ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों के अंतर्गत ग्राम में सम्पत्ति की खरीद-बिक्री का लिखित प्रमाण, जन्म-मृत्यु का विवरण, हाट-मेलों का आयोजन, वृक्षारोपण जैसे कार्य भी शामिल हैं।

ग्राम पंचायत की आय के साधन

ग्राम पंचायत लोगों से सफाई, बिजली, निजी मकानों, हाट-मेलों आदि पर कर लगाकर आय जुटाती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है। ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व व्यय का लेखा ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

ग्राम सभा- प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होती है। यह सभा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है। ग्राम सभा गाँव की सामान्य सभा है। ग्राम सभा की बैठक प्रति तीन माह में होती है। ग्राम सभा

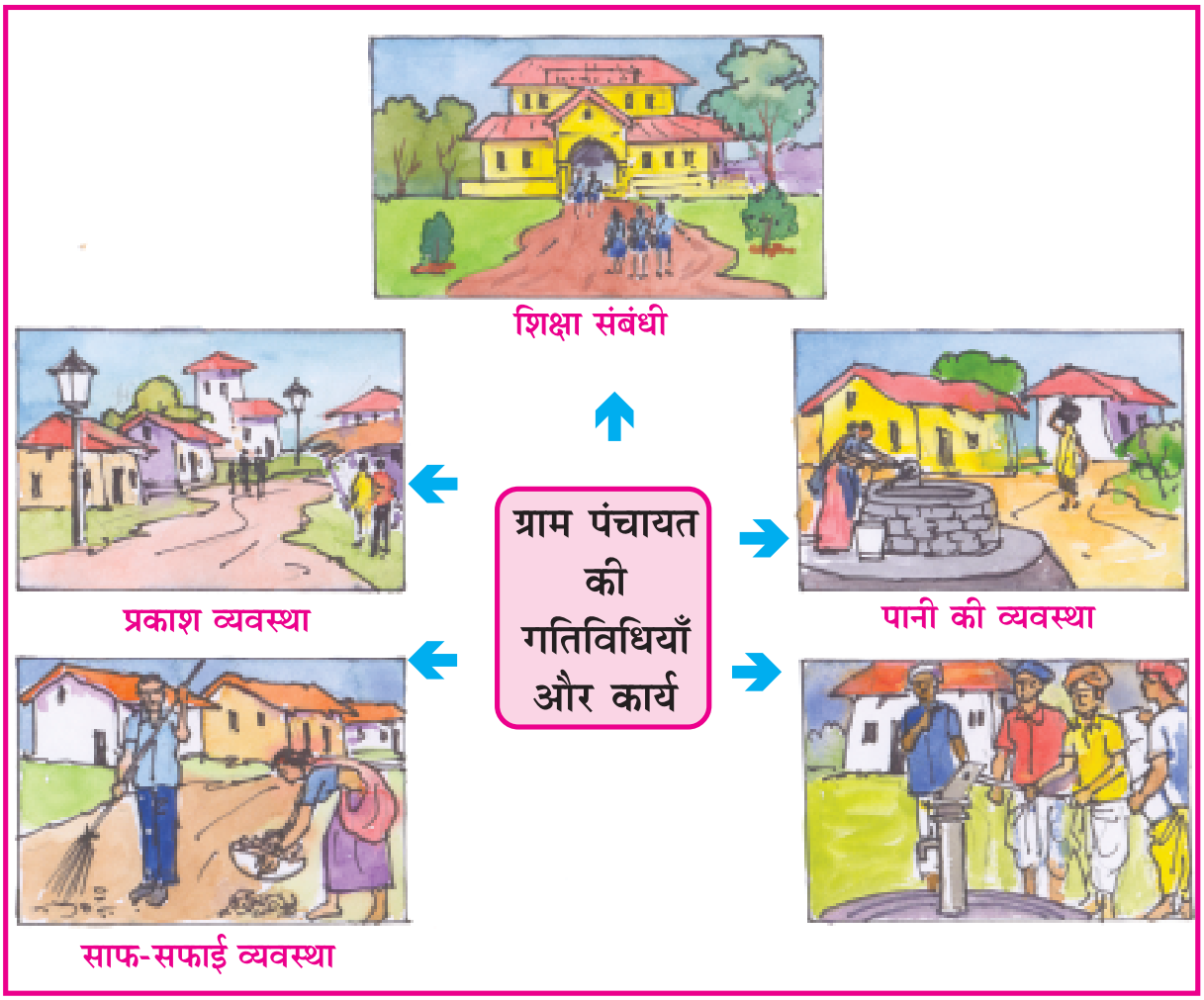

में गाँव के लोग अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं।

ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा नीतिगत निर्णय लेती हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा करती है।

2 जनपद पंचायत

जनपद पंचायतों का गठन विकासखंड स्तर पर किया जाता है। एक जनपद पंचायत क्षेत्र में उस विकास खंड की समस्त ग्राम पंचायतें शामिल की जाती हैं।

गठन- ग्राम पंचायत के सदस्यों की भांति जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा होता है। 5 वर्ष के लिए चुने हुए सदस्यों के अलावा उस खंड के निर्वाचित विधानसभा सदस्य भी उस जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के कार्यों की देख-रेख के लिए जनपद पंचायत के सदस्य अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने बीच से ही चुनते हैं। जनपद पंचायत में चुने हुए

सदस्यों की संख्या 10 से लेकर 25 तक होती है। जनपद पंचायत क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के सरपंचों को $\frac{1}{5}$ संख्या में एक वर्ष के लिए सदस्य बनाया जाता है। जनपद पंचायतों में भी ग्राम पंचायत की भांति अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

जनपद पंचायत के कार्य

जनपद पंचायत का महत्वपूर्ण कार्य ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार से धन दिलवाना है। जनपद पंचायत ही ग्राम पंचायतों के कार्यों की देख-रेख करती है।

ग्रामों के समग्र विकास के लिए पंचायतों को विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराना- जैसे कृषि, शिक्षा, अधोसंरचना, चिकित्सा आदि। महिला, युवा, बाल कल्याण तथा नि:शक्त एवं निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्य, परिवार नियोजन, खेलकूद और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि की व्यवस्था, सहायता तथा संचालन करना जनपद पंचायत के कार्यों में शामिल है।

प्राकृतिक आपदाओं में आपात सहायता की व्यवस्था करना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करना इनका कार्य है। वर्तमान में जनपद पंचायतें शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी, पंचायत कर्मी, जन स्वास्थ्य रक्षक के पदों पर नियुक्ति भी करती है।

आय के साधन - जनपद पंचायत को अपने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न साधनों से आय प्राप्त होती है।

1. कर लगाकर- जनपद पंचायत मकान, जमीन, बिजली, पानी, मेलों और बाजारों पर कर लगाकर धन एकत्रित करती है।
2. राज्य सरकार से विभिन्न प्रकार की सहायता तथा अनुदान प्राप्त करती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत स्तर पर यह सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसका मुख्य कार्य जनपद पंचायत के निर्णयों को लागू करवाना होता है।

3. जिला पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत सर्वोच्च इकाई है। जिला पंचायत चूंकि जिले स्तर पर होती है, अत: एक जिले की सभी जनपद पंचायतें इसके अंतर्गत आती हैं।

गठन

जिला पंचायत के सदस्य जिले के मतदाताओं द्वारा पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जिला पंचायत

में सदस्यों की संख्या 10 से 35 तक होती है।

जिले की विधान सभाओं, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। विधानसभा व लोकसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णत: या अंशत: ग्रामीण क्षेत्र में आता है और राज्य सभा के वे सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, वे ही इसके सदस्य होते हैं।

इसके अतिरिक्त जिले की जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष भी नियमानुसार जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। सदस्यों के आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

जिला पंचायत के कार्य

जिला पंचायत का मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के कार्यों की देख-रेख करना होता है। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों को उनके कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना जिला पंचायत का कार्य है। जिला पंचायत जिले में स्थापित सभी सरकारी विभागों से समन्वय करती है। जिला पंचायत राज्य सरकार के निर्देश पर कुछ शासकीय पदों पर नियुक्तियाँ भी करती हैं।

जिला पंचायत की आय के साधन

जिला पंचायत की आय का प्रमुख साधन राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान होता है। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत मकानों, दुकानों, मेलों आदि पर कर लगाकर आय अर्जित करती है।

जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत के निर्णयों को जिले में लागू करवाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है।

- सामुदायिक विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है।
- जब किसी क्षेत्र के लोग स्वयं मिलकर अपनी (क्षेत्र की) समस्याएँ सुलझाते हैं, उचित वैधानिक उपाय करते हैं, तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं।
- स्वशासी संस्थाएँ लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का कार्य करती हैं।
- त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत शामिल हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए-

(अ) ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं?

(ब) पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

(स) ग्राम सभा की बैठक कितने माहों में होती हैं?

(द) जिला पंचायत के अध्यक्ष को कौन सा दर्जा प्राप्त है?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

(अ) स्थानीय स्वशासन का अर्थ समझाइए।

(ब) ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? समझाइए?

(स) ग्राम पंचायतें ग्रामों के विकास के लिए क्या-क्या कार्य करती हैं?

(द) जनपद पंचायत का गठन एवं कार्यविधि समझाइए।

(य) जिला पंचायत के सदस्य कौन-कौन व्यक्ति होते हैं?

प्रोजेक्ट कार्य-

- आपके ग्राम/नगर की मुख्य समस्याएँ क्या हैं? इनकी सूची बनाइए। इन समस्याओं का निराकरण किनके द्वारा किया जा सकता है? लिखिए।
- पंचायत या अन्य स्थानीय संस्था की गतिविधि को कक्षा में अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करें।

❖❖❖❖

पाठ 22

नगरीय संस्थाएँ

आइए सीखें

- नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के विषय में।

नगरों में हम अनेक प्रकार के उद्योग और व्यापार तथा क्रियाकलापों को देखते हैं। नगर बड़ी संख्या में दूरदराज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग बड़ी संख्या में नगरों में आते हैं तथा यहाँ आकर बस जाते हैं, जिससे नगरों की जनसंख्या बढ़ती है।

लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर, बिजली, पीने के पानी व अच्छी यातायात सुविधाओं की आवश्यकता होती है नगरों की तथा नगरों में निवास करने वाले लोगों की समस्याएँ स्वाभाविक तौर पर गाँवों से भिन्न होती हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए नगरों तथा शहरों की स्वशासित संस्थाओं को अधिक धन व अधिकारों की आवश्यकता होती है।

नगरों व शहरों की स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाएँ भी कहते हैं।

नगर पंचायत

नगर पंचायत, क्षेत्र व जनसंख्या के आधार पर नगर गाँव से बड़ा परन्तु शहर से छोटा होता है। यह शहरी जनसंख्या की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक नगर में एक नगर पंचायत होती है। यह एक निर्वाचित संस्था है।

गठन- जिन नगरों की जनसंख्या पाँच हजार से बीस हजार तक होती है, वहाँ नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। इन नगरों को छोटे-छोटे भागों में बाँटा जाता है। इन्हें वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, इस चुने हुए सदस्य को 'पार्षद' कहते हैं।

प्रत्येक नगर पंचायत में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। इनमें से अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे तथा उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा पार्षदों के बीच से ही किया जाता है। ये बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्य कुछ विशिष्ट अनुभवी व्यक्तियों को चुनते हैं, जिन्हें 'एल्डरमैन' कहते हैं। ये व्यक्ति नगर पंचायत को सलाह देने का कार्य करते हैं। किसी प्रस्ताव के पारित किये जाते समय एल्डरमेन मत नहीं दे सकते केवल सुझाव दे सकते हैं।

एक नगर पंचायत में वार्डों की संख्या **15** से **40** तक होती हैं।

नगर पंचायत का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। इसका कार्य नगर पंचायत के निर्णयों का पालन कराना होता है।

नगर पंचायत में पार्षद बनने हेतु स्थानीय निवासी, 21 वर्ष की आयु तथा मतदान का अधिकार होना आवश्यक है।

नगरपालिका

ऐसे शहर जो नगरों से बड़े होते हैं, वहाँ नगरपालिकाएँ गठित की जाती हैं। इनको नगर परिषद् या नगर बोर्ड भी कहते हैं।

गठन- जिन नगरों की जनसंख्या बीस हजार से अधिक और एक लाख से कम होती है, वहाँ नगर पालिकाएँ गठित की जाती हैं। नगरों को विभिन्न वार्डों में बाँटा जाता है। एक नगर पालिका में वार्डों की संख्या 15 से 40 तक हो सकती है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। इसे पार्षद कहते हैं।

नगर पालिका का एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे तथा उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। ये बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। नगर पालिका की

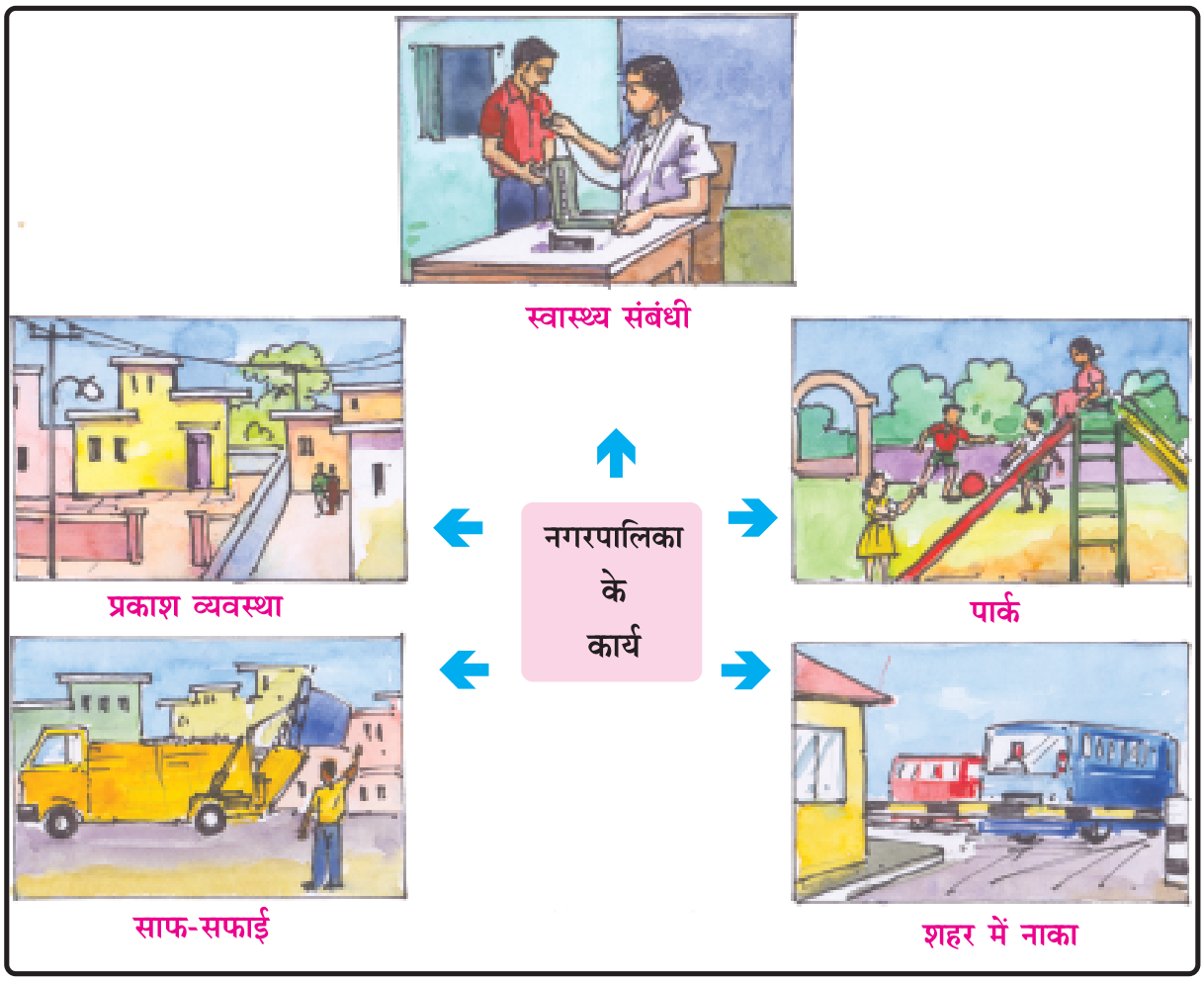

बैठकें नियमित होती हैं।

राज्य शासन द्वारा नगरपालिकाओं में मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, इसका कार्य परिषद के निर्णयों को लागू करवाना होता है।

प्रथम नगरपालिका मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसीनगर में 17वीं शताब्दी में गठित की गई थी। स्वतंत्रता के समय भारत में मात्र तीन नगरपालिकाएँ थीं- मद्रास, मुम्बई और कोलकाता।

नगर निगम

गठन- नगर निगम बड़े-बड़े शहरों में स्थापित किये जाते हैं, जिन नगरों की जनसंख्या एक लाख से अधिक होती है, वहाँ नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर पंचायत तथा नगर पालिका की भांति बड़े शहरों के क्षेत्र को छोटे-छोटे भागों में बाँट कर पार्षदों का चुनाव किया जाता है।

नगर निगम में चुने हुए सदस्यों की संख्या 50 से 150 तक होती है। नगर निगम के सदस्य भी कुछ अनुभवी, विशिष्ट लोगों को एल्डरमैन के रूप में चुनते हैं।

नगर निगम का सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु तथा उस क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक होता है।

नगर निगम के अध्यक्ष को 'महापौर' अथवा 'मेयर' कहते हैं। एक 'उपमहापौर' की भी व्यवस्था है। महापौर का चुनाव जनता द्वारा सीधे तथा उपमहापौर का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है।

प्रत्येक नगर निगम में एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसे निगम आयुक्त कहते हैं। इस पद पर नियुक्त होने वाला अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। इसका कार्य निगम के निर्णयों को लागू कराना है।

नगर पालिका एवं नगर निगम में डाक्टर, इंजीनियर तथा शिक्षा विशेषज्ञ भी होते हैं। इनमें नगरीय विकास के लिए कई समितियाँ होती हैं। इन समितियों के अपने अध्यक्ष होते हैं।

नगरीय स्वशासी संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनमें महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण की व्यवस्था भी है।

नगर पंचायत, नगरपालिका, व नगर निगमों के आय के साधन-

इन संस्थाओं की आमदनी के कुछ स्रोत हैं, जिनसे ये धन (कर) प्राप्त कर अपनी आय प्राप्त करती हैं:-

1. मकान, जमीन पर कर लगाना, इसे सम्पत्ति कर कहते हैं।
2. व्यापार, व्यवसाय तथा वाहनों पर कर लगाना।
3. पानी तथा रोशनी की सुविधा हेतु शुल्क लेकर।

4. इन संस्थाओं की स्वयं की सम्पत्ति जैसे भवन, दुकान, आदि से प्राप्त किराया।

5. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान व वित्तीय सहायता।

6. विभिन्न प्रकार की अनियमतताओं पर लगाए गए जुर्माने से प्राप्त राशि।

नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगमों के कार्य

इन नगरीय संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य।

अनिवार्य कार्य

- नगर के सुव्यस्थित विकास की योजना बनाना।
- भवन निर्माण व भूमि के उपयोग की स्वीकृति देना।
- सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना।
- सड़कों तथा पुलों का रख-रखाव करना।
- प्रकाश व पेयजल की व्यवस्था करना।
- गंदे पानी के निकास हेतु नालियों का निर्माण व सफाई करवाना।
- जनता के स्वास्थ्य व शिक्षा की व्यवस्था करना।
- पर्यावरण की सुरक्षा व नगर की सुन्दरता के लिए पार्कों का निर्माण व वृक्षारोपण करवाना।
- बच्चों के खेलकूद व मनोरंजन हेतु स्थान का विकास करना। कमजोर वर्ग, विकलांग, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों तथा समाज के अन्य वर्गों की सुरक्षा करना।
- झोपड़ पट्टियों में जन सुविधाओं का विकास, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य, जन्म-मृत्यु का पंजीयन, श्मशान, कब्रिस्तान के लिए स्थान निर्धारित करना, आवारा पशुओं की रोकथाम करना व अग्निशमन के उपाय करना नगरीय संस्थाओं के अनिवार्य कार्य है।

ऐच्छिक कार्य-

- नई सड़कों, भवनों का निर्माण।
- पुस्तकालय, वाचनालय, चिड़ियाघर की व्यवस्था करना।
- धर्मशाला, विश्रामगृह, वृद्ध आश्रम आदि का निर्माण व प्रबंधन करना।
- शिशु कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

- नगरों में हम अनेक प्रकार के उद्योगों व व्यापारिक क्रियाकलापों को देखते हैं।
- नगरों की स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ, नगर पंचायत, नगरपालिका व नगर निगम के नाम से जानी जाती हैं।
- नगरपालिका व नगर निगम के सदस्यों को **'पार्षद'** कहते हैं।
- नगर निगम के अध्यक्ष को **'महापौर'** या **'मेयर'** कहते हैं।
- नगर निगम के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी को निगम आयुक्त के नाम से जाना जाता है।
- नगरीय संस्थाएं नगरों का विकास व नागरिकों के कल्याण का कार्य करती हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए-

(अ) शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाएँ किन्हें कहते हैं?

(ब) नगर पंचायत कितनी जनसंख्या वाले नगरों में गठित की जाती हैं?

(स) 'एल्डरमैन' क्या कार्य करते हैं?

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

(अ) नगरीय संस्थाओं के अनिवार्य पाँच कार्य कौन-कौन से हैं?

(ब) नगरीय संस्थाओं के कौन-कौन से ऐच्छिक कार्य हैं?

(स) नगरीय संस्थाओं के आय के साधन बताइये।

(द) वार्ड, मेयर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसे कहते हैं?

(य) नगर पंचायत या नगरपालिका का गठन कैसे होता है? वर्णन कीजिए।

3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(अ) वृक्ष लगवाना एवं उनकी देखभाल करना नगरीय संस्थाओं का ..... कार्य है।

(ब) 'नगर निगम आयुक्त' का कार्य ..... लागू करवाना है।

(स) नगरपालिका के सदस्यों को ..... कहा जाता है।

(द) स्थानीय संस्थाओं को राज्य सरकार से ..... प्राप्त होता है।

4. सही जोड़ी बनाइए-

अ	ब
अ. नगर पंचायत गठित की जाती है	एक लाख से अधिक जनसंख्या पर
ब. नगर पालिका गठित होती हैं-	पांच से बीस हजार की जनसंख्या पर।
स. नगर निगम गठित होता है-	बीस हजार से एक लाख की जनसंख्या पर।

प्रोजेक्ट कार्य- ● आप अपने नगर अथवा गांव के पास गठित किसी एक स्थानीय संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुक्त के नाम पता कीजिए।

❖❖❖❖

पाठ 23

जिला प्रशासन

आइए सीखें

- जिला प्रशासन क्या है?
- जिला प्रशासन के सहयोगी विभाग कौन-कौन से हैं?

हमारे देश में छः सौ से अधिक जिले हैं। जिला प्रशासन व्यवस्था की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण इकाई है। जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर या जिलाधीश कहलाता है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। कलेक्टर अपने जिले की समस्त तहसीलों व ग्रामों के प्रशासन की देख-रेख करता है। वह जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, अतः वह जिले में चल रहे सभी कार्यों पर नियंत्रण भी करता है।

जिले में गाँव व तहसील छोटी इकाइयाँ हैं। जिले में गाँवों के सुव्यवस्थित विकास के लिए विकासखंडों का गठन किया गया है।

जिले के अधिकारी व कर्मचारी

वास्तव में प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को जिलों में और जिलों को तहसीलों में बाँटा गया है। ये जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई है। जिले में सरकार की नीतियों को लागू करने एवं कानून व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन उत्तरदायी होता है। कलेक्टर की सहायता के लिए दूसरे अधिकारी व कर्मचारी होते हैं।

कलेक्टर के कार्य

कलेक्टर के प्रमुख कार्य इस प्रकार है-

- जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व कलेक्टर का है। इसलिए इसे दंडाधिकारी के अधिकार प्राप्त है।
- भूमि का अभिलेख तथा भूमि कर वसूल करना इसका दूसरा एवं महत्वपूर्ण कार्य है। इसे भूमि संबंधी विवादों को निपटारा करने का अधिकार भी प्राप्त है।
- जिले में नागरिक सुविधाएँ- स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात का प्रबंध, सरकारी इमारतों, सड़कों आदि की देखभाल, पर्यवेक्षण करना तथा आपात स्थिति में राहत प्रदान करना इसका कार्य है।
- जिले में पंचायतों व स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के चुनाव कार्य भी इसी की देखरेख में सम्पन्न होते हैं।